



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1928 (श०)

(सं० पटना 244)

पटना, शनिवार, 1 अप्रैल 2006

वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग

अधिसूचनाएं

1 अप्रैल 2006

एस० ओ० 30, दिनांक 1 अप्रैल 2006—बिहार मूल्यवर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम में संलग्न किये गये अनुसूची I, अनुसूची II एवं अनुसूची III को निम्नवत् संशोधन करते हैं—

(1) उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची I को निम्नवत् अनुसूची I से प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

क्र० सं०	वस्तु का नाम
1.	कृषि उपकरण मनुष्य द्वारा संचालित या पशु चालित।
2.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण एवं सहाय्य।
3.	जलचर आहार, भुर्गी आहार और पशु आहार जिसमें घास, सूखी घास, पुआल, दाल का भूसा, बीना तेल खल्ली, गेहूँ चोकर और ऐसे आहारों के पूरक, सान्द्रित और मिश्रीत पदार्थ।
4.	किसी भी पदार्थ से बनी चूड़ियों, परन्तु सोना, चाँदी, एवं प्लैटिनम से बनी चूड़ियों को छोड़कर।
5.	पान का पत्ता।
6.	किताबें, सामयिक एवं पत्रिकाएँ, उनको छोड़कर जो इस अनुसूची में दूसरी जगह या किसी दूसरे अनुसूची में विनिदिष्ट है, परन्तु ब्रेली किताबें, नक्शा, मानचित्र एवं ग्लोब को सम्मिलित कर।
7.	डबलरोटी, किसी प्रकार के फल या सब्जी युक्त डबलरोटी को छोड़कर।
8.	बेलगाड़ी।
9.	चौकी, बेलन एवं दाल विलोडन।
10.	चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा और हथकरघा फ़ैब्रिक एवं गॉंधी टोपी।
11.	लकड़ी कोयला।
12.	मोटा अनाज अर्थात् धान, चावल, और गेहूँ को छोड़ कर सभी प्रकार के अनाज।
13.	नारियल रेशा।
14.	कॉसशेल एवं कोन्सशेल उत्पाद।
15.	कॉनडॉम एवं गर्भ निरोधक युक्ति।
16.	डिल्ले गट्टर में सूती एवं सिल्क धागा।
17.	दही, लससी, मक्खन, दूध एवं अलग किया हुआ दूध।
18.	कार्यहकदारी पास बुक।
19.	मिट्टी के बर्तन जिसमें सिरामिक बर्तन शामिल नहीं है।

20.	विद्युत ऊर्जा।
21.	जलावन लकड़ी, कसुरीना एवं यूकलीप्टस टिम्बर छोड़कर।
22.	मछली जाल, मछली जाल फेब्रिक और शिम्प, प्रॉन एवं मछली के बीज।
23.	ताजा दूध एवं पशुचुराइज्ड दूध।
24.	ताजा पौधा, सैपलिंग्स और ताजा फूल।
25.	ताजी सब्जियाँ, जिसमें आलू एवं प्याज शामिल है और ताजा फल।
26.	ताजा लहसून एवं अदरक।
27.	ताजा गुड़, जगरी और रब गुड़।
28.	जन वितरण प्रणाली द्वारा किरासन तेल के अलावे बेची जाने वाली वस्तुएँ।
29.	खादी सिले सिलाये वस्त्र एवं खादी निर्मित।
30.	पीतल एवं धातु से बनी दस्तकारी एवं घरेलू सामान।
31.	होजरी यार्न।
32.	मानव रक्त और रक्त प्लाज्मा।
33.	मूर्ति, खिलौना और गुड़िया जो क्ले निर्मित है।
34.	स्वदेशी हस्त निर्मित वाद्य यंत्र।
35.	स्वदेशी हस्त निर्मित बिना मार्का के पिण्ड जो सामान्यतः बोरी जाना जाता है।
36.	स्वदेशी हस्त निर्मित साबुन।
37.	पतंग।
38.	कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिंदूर।
39.	लाह और चपड़ा।
40.	मैट जो स्थानीय रूप में चटाई जाना जाता है, किसी भी रूप में प्लास्टिक का बना हुआ छोड़कर।
41.	मीट, मछली, प्रॉन और अन्य जल-जलीय उत्पाद जब संसाधित या जमा हुआ नहीं हो और सूखी मछली जिसे सामान्यतः सुतकी जाना जाता है मछली अण्डा और पशु धन एवं पशु बाल।
42.	राष्ट्रीय झंडा।
43.	अखबार।
44.	पपड़ चावल, सामान्यतः मूड़ी जाना जाता है, प्रलैटेन्ड चाबीटेन चावल (पोहा), सामान्यतः चूड़ा जाना जाता है, भूना हुआ चावल, सामान्यतः खोई जाना जाता है मुरमुरा, लाई मुकुनदाना, लखटो, तिलकुट, अनारसा, लिट्टी और चोखा।
45.	पापड़ जो सामान्यतः पापर जाना जाता है।
46.	सरकारी कोषागार द्वारा बिक्री किया हुआ गैर अदातती मुद्रांकित कागज, लिफाफा, पोस्टकार्ड

	इत्यादि की तरह सरकार द्वारा बेची गयी डाक घर वस्तु, रूपया नोट जब भारतीय गैजार्ड वस्तु को बेची जाय और चेक खुला या किताब रूप में। परन्तु प्रथम दिन आवरण, फोल्डर इसमें शामिल नहीं है।
47.	राखी।
48.	कच्चा जूट।
49.	कच्चा ऊन।
50.	सबई घास और इससे बने सामान।
51.	सागो और टेपीअका गोल दाने।
52.	नमक।
53.	आटा, मैदा, सूजी अथवा बेसन से आंशिक या पूर्णतः निर्मित पकाये नमकीन भोजन यथा सिंघारा, नीमकी, कचौरी, खास्ता कचौरी, लूची, रघबल्लावी और दालपूरी।
54.	सिमेन, जिसमें जमा हुआ सिमेन शामिल है।
55.	सिल्क, वर्म लेथिंग, ककून और कच्चा सिल्क।
56.	स्लेट और स्लेट पेंसिल।
57.	चीनी उत्पादित या भारत में निर्मित मिश्री और बतासा।
58.	सभी प्रकार के बीज जो इस अनुसूची में या किसी अन्य अनुसूची में शामिल नहीं है।
59.	मिठाईयों जिसमें केक और पेस्ट्री शामिल नहीं है परन्तु दही और खोवा शामिल है।
60.	टेन्डर हरा नारियल, सामान्यतः जिसे डाब कहा जाता है।
61.	(i) टेक्सटाइल फेब्रिक जो पूर्णतः या आंशिक रूप कपास, रेयन, पलैक्स, कृत्रिम सिल्क या ऊन से भारत में उत्पादित या निर्मित है। (ii) कॉटन टेक्सटाइल्स, फेब्रिक, जो भारत में निर्मित या उत्पादित है। वमास्टीम में लेमिनेटेड या इमप्रेगनेटेड, कवर्ड कोटेड है। मसक्यूटो नेट फेब्रिक और मसक्यूटो नेट सामान्यतः मच्छर जाल जाना जाता है।
62.	तंबाकू जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम-1944 की प्रथम अनुसूची में वर्णित है जिसमें सिगरेट, सिगार, चेरुट, पाईप के लिए स्मोकिंग मिश्रण और सिगरेट, बीड़ी चबाने की तंबाकू, स्नफ और हुक्का के लिए तम्बाकू, यथा टुबैको पेस्ट, हुक्का में व्यवहार हेतु तैयार जब ऐसी सभी वस्तुएं विनिर्मित है हुक्का में व्यवहार हेतु तैयार है एवं ऐसी सभी वस्तुएं भारत में निर्मित एवं उत्पादित है।
63.	ताड़ी निरा और अर्क।
64.	चाय की अपरिरक्षित हरी पत्ती।
65.	टाइल ढाचा और ईट ढाचा।
66.	पानी, इसमें

	(i) एरंटेड, मिनरल, डिस्टील्ड, मेडिसीनल, ऑयनिक, बैटरी, भीनरलाइज्ड वाटर और (ii) सील्ड कन्टेनर में बेचा गया पानी, सम्मिलित नहीं है ;
67	पवित्र धागा, सामान्यतः जिसे यज्ञोपवित कहा जाता है।
68	मिट्टी का दीया।
69	सतू।

(2) उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची II में एक नयी क्रम संख्या 4 निम्नवत् जोड़ी जायेगी :-

क्र० सं०	वस्तु का नाम
4.	धान, चावल, गेहूँ, दाल, पलोर, आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन।

(3) उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची III के भाग I को निम्नवत् अनुसूची III के भाग I से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

क्र० सं०	वस्तु का नाम
1.	कृषि उपकरण जो मनुष्य द्वारा कार्य चालित या पशु शक्ति चालित नहीं है और इनके अवयव और पार्ट्स पुर्जे।
2.	अल्मुनियम सभी रूप में अर्थात् अल्मुनियम इनगॉट्स स्लैब्स, बार, रॉड्स, तार, क्वायल, चदरा, प्लेट्स, सर्किल, सेक्सन, चैनल, एंगल्स ज्वाइंट्स, इक्सट्रजन्स, जिसमें अल्मुनियम स्कैप्स और अल्मुनियम फॉयलस सम्मिलित है।
3.	संचार के सभी उपकरण यथा प्राइवेट ब्रान्च इक्सचेंज फ० बी० (एक्स) और इक्ट्रॉनिक प्राइवेट एरोमेटिक ब्रान्च इक्सचेंज (ई० पी० ए० बी० एक्स०) और उनका अवयव और पार्ट्स पूर्जे।
4.	सभी अमूर्त वस्तुएँ जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और रेप्लेनीशमेंट (आर० इ० पी०) अनुज्ञप्ति जो इस अनुसूची किसी दूसरी जगह या किसी अन्य अनुसूची में शामिल नहीं है।
5.	सभी प्रकार के ईट जिसमें ब्रीकबैट्स झांवा, पलाई ऐश ब्रीकस, रीफ्रैक्चरी ब्रीकस और एसफाल्टिक रूफिंग मिट्टी के टाइल्स और रीफ्रैक्चरी मोनोलिथिक और पलाई ऐश।
6.	सभी प्रकार के खिलौने परन्तु जो इस अनुसूची में दूसरी जगह एवं अन्य अनुसूची में शामिल हैं उन्हें छोड़ कर और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को छोड़कर।
7.	सभी प्रकार के धागे जूट धागे और जूट ट्वैन और सिलाई धागा को सम्मिलित कर परन्तु कपास एवं सिल्क धागे दिल्ली गठरों को छोड़कर।
8.	सभी बरतन जिसमें प्रेसर कूकर और पैन शामिल हैं और कीमती धातुओं से निर्मित बरतन छोड़कर।
9.	अल्मुनियम कनडक्टर स्टील रेनफोर्सड (ए० सी० एस० आर०) और ऑल अल्मुनियम कनडक्टर (ए०

	ए० सी) और ऑल अल्युमिनियम एलॉय कनडक्टर (ए० ए० ए० सी०)
10.	एरेका नट पाउडर और कसीली।
11.	रोल्डगोल्ड से निर्मित सामान और नकली सोना औ सभी प्रकार के नकली आभूषण।
12.	एफाल्ट फेल्ड, रूफिंग फेल्ड, वाटर प्रूफ फेल्ड, पोलीप्ररीक फेल्ड और प्लास्टीक फेल्ड।
13.	बांस जिसमें फटा बाँस और कटा हुआ बाँस शामिल है।
14.	खोई।
15.	क्षारीय क्रोमियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और त्रिरेजित द्रव।
16.	जौ।
17.	बैटरी लीड, लेडऐश और संग्रहण बैटरी के लिए पृथक्कर्ता।
18.	बीयरिंग जिसमें आलुचा ब्लॉक, बीयरिंग के लिए खोल, लॉकेटरिंग और डक्कन एडाप्टर प्रत्याहार नली, लौक नट लौक वाशर, क्लैप और लूकता तत्व।
19.	बीड़ी पत्ता।
20.	सभी प्रकार एवं वर्णन के पट्टे।
21.	बाइसाइकिल, ट्राइसाइकिल और साइकिल रिक्शा और पार्ट्स पुजे और अवयव जिसमें टायर टयूब शामिल है।
22.	बायोमास ड्रीकेट्स।
23.	जैविक खाद और माइक्रोन्यूट्रीयेट्स, पौधा वृद्धि वर्द्धक एवं नियंत्रक।
24.	बिदुमेन।
25.	वर्षित्र, भट्टी और उनके पार्ट्स।
26.	हड्डी चूर्ण।
27.	घरेलु उपयोग की वस्तु जैसे जग, मग और बाल्टी जो आयरन स्टील, अल्युमिनियम, प्लास्टीक अथवा अन्य धातु से निर्मित हैं परन्तु जो कीमती धातुओं से निर्मित नहीं है।
28.	दर औषधि।
29.	मोमबत्ती।
30.	कास्ट आयरन कार्टिंग इस अनुसूची में अथवा किसी दुसरी जगह अथवा किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।
31.	रेडी तेल।
32.	कास्टीक सोडा, कास्टीक पोटाश, एवं सोडा ऐश।
33.	विद्युत चालित अथवा अन्य मोटर एवं रोन्ट्राफ्यूजनल एवं मोनो ब्लैक तथा सबमर्सीबुल पंप एवं अतिरिक्त पूर्ण अवयव एवं उनकी सहायक।

34.	रासायनिक खाद जिसमें मूल धातु-मल, कीटनाशक, खर-पतवार नामक क्रीमी नाशक, जीवाणु नाशक, फफुंदीनाशक एवं शाकनाशक शामिल है।
35.	मिट्टी जिसमें अग्निमिट्टी, महीनचाइना मिट्टी और बॉल मिट्टी शामिल है।
36.	अलकत्तरा।
37.	कॉफी बीज, कोको फली और चिकोरी।
38.	नारियल रेशा और नारियल रेशा उत्पाद जिसमें नारियल रेशा का गद्दा शामिल नहीं है।
39.	बिना मार्का का एवं पैक किया हुआ चनाचुर, बुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बदाम।
40.	सर्वाइकल स्पाइनल कॉलर, ब्रेस एवं अर्थोज, हस्त खपची, फैंक्वर ब्रेस एवं कोलोस्टोमी जिसमें फेस प्लेट एवं वेफर, डायलीटिस थैला, यूरो बैग, वाटर ड्रील ट्रेनेज बैग शामिल हं।
41.	रूई एवं रूई की रद्दी।
42.	कंघी।
43.	कागज एवं प्लास्टिक के कप तथा ग्लास।
44.	कुल्हिया।
45.	औषधि एवं दवाएँ, चाहे एकस्य अधिकार या मालिकाना, जिसमें टीके की दवाई, प्रयोग के बाद फेंकने योग्य हाइपोडर्मिक सिरीन्जेज, हाइपोडर्मिक निड्र्स, तांत, टांका, सर्जिकल, ड्रेसिंगस, औषधियुक्त भरहम जो औषधि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत निर्गत अनुज्यप्ति के तहत उत्पादित है परन्तु कोई भी सौन्दर्य प्रसाधन, ईत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल को छोड़कर चाहे ऐसे सौन्दर्य प्रसाधन, इत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल किसी औषधि अनुज्यप्ति के तहत उत्पादित है और चाहे ऐसे सौन्दर्य प्रसाधन, ईत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल में कोई औषधिक गुण है।
46.	विकित्सा शास्त्र निदान के सभी उपयोगी औजार।
47.	खाद्य तेल जिसमें नारियल तेल और तेल टिकिया को छोड़कर
48.	विद्युदग्र, वैद्युत पृथक्कारी।
49.	कशीदा या जरी के समान यथा 1. इमो 2. जरी 3. कसाब 4. सेमा 5. डबका 6. चुमकी 7. गोटा 8. सितारा 9. नक्सी 10. शीशा द ना 11. बदला 12. गल्लजल 13. कशीदा मशीन 14. कशीदा सुई 15. कोरा।
50.	अल्यास कॉपी, चित्रकारी कॉपी, लेखाचित्र कॉपी, लेखा पुस्त और प्रयोगशाला नोट कॉपी।
51.	सभी प्रकार के रेशे और रेशे की गद्दी।
52.	भोजन देने की शीशी और डिपनी।
53.	भूना चना और पकाया चना।

54.	शीशा धुआं कश जिसमें पेट्रोमैक्स प्रकाश में व्यवहृत धुआकश शामिल नहीं है।
55.	वस्तुएँ जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है।
56.	सभी रूपएवं वर्णन के जिप्सम।
57.	हस्त पम्प पाटर्स और फिटिंग्स।
58.	शाक, छाल, सूखा पौधा, सूखा जड़ जिसे साधारणतः जड़ी-बूटी जाना जाता है और सूखा फूल।
59.	खोखला पोलिऐस्टर रेशा।
60.	मधु।
61.	सभी प्रकार एवं वर्णन के होज पाईप और इनके सीरा, साज-सामान।
62.	सभी प्रकार एवं वर्णन की होजरी वस्तुएँ।
63.	तूफान लालटेन, किरासन दीपक, पेट्रोमैक्स और उनके सहायक अवयव और गैस मैन्टल्स।
64.	अनाज की भूसी और अनाज का चोकर, गेहूँ का चोकर छोडकर।
65.	वर्फ।
66.	सुगंधित छडी जिसमें सामान्यतः अगरबत्ती, धुपकाठी और हवन सामग्री जाना जाता है और जिसमें सोमब्रानी और लोहवान शामिल हैं।
67.	औद्योगिक तार (1000 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज तार, एकस0 एल0 पी0 तार, पी0 वी0 सी0 तार, अवलेह भरा तार, प्रकाशीय धागा)।
68.	आई0 टी0 उत्पाद जैसा इस अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट है।
69.	जूट बैडिंग तेल।
70.	बुनाई का ऊन।
71.	कत्था।
72.	खांड्सारी।
73.	पत्ते का थाली और कप।
74.	लीगनाइट।
75.	चूना, चूना-पत्थर, खंगर और डोलोमाइट।
76.	लिनियर अलकाइल वेंजिन(एल0 ए0 वी0) सल्फोनेट अम्ल, अल्फा ओलेफीन सल्फोनेट।
77.	मक्का स्टार्च, ग्लूकोज, मक्का लासा, मक्का जीवाणु और तेल।
78.	मिश्रित पी0 वी0 सी0 स्टेब्लाइजर।
79.	औद्योगिक इनपुट और पैकिंग साज-सामान जैसा इस अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट है।
80.	चिकित्साशास्त्र उपकरण, युक्ति और आरोपण।
81.	नापा स्लैब और शाहाबाद स्टोन।

82.	नेवार।
83.	गैरलौह धातु और लौह और गैरलौह धातु का मिश्रितधातु, लौह तथा गैरलौह धातु का कास्टिंग।
84.	नट, बोल्ट, स्क्रू और बांधनेवाला।
85.	अयस्क और खनिज जो इस अनुसूची में कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है।
86.	जैविक खाद।
87.	कागज, तहचढ़ाया कागज, कार्बन कागज, पेपर बोर्ड, कम्प्यूटर प्रिंट एव न्यूजप्रीन्ट में व्यवहृत कागज।
88.	सभी श्रेणी और मानक के पैराफीन वैक्स परन्तु भोजन श्रेणी मानक को छोड़कर जिसमें मानक वैक्स और स्लैक वैक्स शामिल है।
89.	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी० आई० पाइप, सी० आई० पाइप, तन्य पाइप और जी० वी० सी० पाइप और उनके साज-सामान।
90.	पीजा-ब्रेड, बन और ब्रेड जिसमें किसी प्रकार का फल या सब्जी हैं।
91.	सभी वर्णन के प्लान्ट एवं मशीनरी।
92.	प्लास्टिक जूता, हवाई चप्पल और उनके पार्ट्स और अवयव।
93.	प्लास्टिक ग्रेनुल, प्लास्टिक पाउडर और मास्टर बैच।
94.	पोस्तादाना।
95.	पुरानी मोटर कार।
96.	प्रिन्टेड सामान जिसमें डायरी, कलेंडर और लेटर पेड शामिल है।
97.	प्रिन्ट स्याही जिसमें टोनर और कार्ट्रिज शामिल है।
98.	रबडी और कुटीर पनीर।
99.	परिरक्षित या सुरक्षित रखी सब्जी और फल जिसमें फल-जाम, जेली, अचार, फल स्क्वाएस, फल पेस्ट, फल पेव और फल जूस चाहे डिब्ब बन्द हो या नहीं, वेट डेट परन्तु सूखा फल छोड़ कर।
100.	बांस, लकड़ी और कागज की रूपायें।
101.	रेल कोच, इंजिन, वैगन, भांडा डिब्बा और उनके पार्ट्स।
102.	सिले सिलाये वस्त्र, होजरी को छोड़कर परन्तु जिसमें को, नेकटाई और कॉलर शामिल है।
103.	द्रव्य या गैस के रूप में प्रशीतक।
104.	नदीकरणीय रजर्न व्यक्ति और अतिरिक्त पार्ट्स।
105.	अवशिष्ट द्रवित हाइड्रोजन गैस और अन्य गैस जो इंधन में व्यवहार होता है परन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैस(एल० पी० जी०)छोड़कर।

107.	विस्कुट जो कि कठोरित ब्रेड है।
108.	निरापद दियासलाई।
109.	पुरानी और निकम्मा बैट्री के स्कैप।
110.	चश्मा और उनके पार्ट्स और अवयव, संस्पर्शी ताल और ताल मार्जक।
111.	सिलाई यंत्र और इसके अतिरिक्त और सहयोगी।
112.	जहाज जो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1956 के अंतर्गत निवन्धन के लिए दायी है, सभी प्रकार के टंग, तैरते डक, तैरते क्रेन, तालकर्षक, बजरा और अन्य जलयान जिसमें अयांत्रिक नाव शामिल है।
113.	सिल्क कपड़ा जिसमें हथकरघा सिल्क नहीं है।
114.	मलाई उतारा हुआ दुध पाउडर और यू0 एच0 टी0 दुध।
115.	सोडियम सिलीकेट।
116.	विलायक तेल परन्तु तैव विलायक तेल को छोड़कर।
117.	सोया नगीट जो सामान्यतः सोया बोरी के नाम से जाना जाता है।
118.	सभी प्रकार और रूप के मसाले जिसमें जीरा, सौफ, हल्दी, सूखी मिर्च और हींग(टसफोरीदा)शामिल है।
119.	बानू और कैंकड़ी।
120.	खेल-कूद की वस्तु जिसमें परिधान एवं फुटवीयर शामिल नहीं है।
121.	स्टेनलेस स्टील।
122.	स्टार्च और स्टार्च आधारित सरस।
123.	(i)सौर उष्मीय युक्ति, एवं सौर बोल्टेयक युक्ति सौर उष्मीय युक्ति और सौर फोटो बोल्टेयक युक्ति का संयोजन और ऐसे सभी युक्तियों के अतिरिक्त पार्ट्स (ii)सौर पंखा, सौर प्रकाश, सौर पम्प और सौर लालटेन, जो फोटो बोल्टेयक युक्ति द्वारा पैदा की गयी विद्युत से चलता है।
124.	चीनी, भारत निर्मित चीनी को छोड़कर।
125.	पशु चरबी।
126.	इमली जिसमें इमली बीज पाउडर शामिल है।
127.	नाप,
128.	सभी प्रकार के टेक्सटाइल कपड़े जो भारत में उत्पादित या निर्मित है उन्हें छोड़कर और जिसमें तार कपड़ा और फेल्ड शामिल है, अनन्त या एक प्रकार के जोड़ने वाले युक्ति के साथ उपयुक्त आकार दिया हुआ जो कागज बनाने वाले यंत्र या किसी अन्य यंत्र में व्यवहृत होता है।
129.	हॉर्न।

130.	<p>औजार, जैसे कि:-</p> <p>(क) शक्ति औजार यथा विद्युत ड्रिल, टाइपिंग मशीन, हथौरा, सैंडर, प्लानर्स, स्कूइडर, ब्लोवर्स, रूटर्स, विन्चेज, फिसलनेवाला, सुर एब्रेसिव, नन-वॉवेन एब्रेसिव, बान्डेड एब्रेसिव परन्तु सतह को पॉलिश करने वाला पत्थर, बढई के औजार को तेज करने वाला पत्थर, टाईल्स को पॉलिश करने वाला ब्लॉक और रगड़ने वाला ईट को छोड़कर</p> <p>(ख) काटनेवाला औजार जैसे टैप्स, मिलिंग कटर, रीभर, सेगमेंट, कारबाइट औजार, सॉव, उच्च गति का कट ऑफ मशीन, शियर, कुतरने वाला, कम्पाउन्ड मीटर सॉव, मेशनरी कटर, डायमंड ड्रेसर कटर, गेयर हॉब्स और गेयर शेपर कटर</p> <p>(ग) मापने का औजार जैसे माइक्रोमीटर, वर्नीयर कैलिपर्स, फिलर गॉज, हाइट गॉज, स्लीप गॉज, स्नैप गॉज, प्रेसर गॉज, डायल थर्मामीटर, वाटर मीटर और मापने वाला स्टील टेप।</p> <p>(घ) हाइड्रोलिक औजार जैसे जैक, पाइप बन्डर, टॉर्क रेन्चेज, ब्रेकर, सिलिन्डर और नियंत्रण वाला</p> <p>(ड) नुमेरीक औजार जैसे इम्पैक्ट रेन्चेज, जैमर, ग्रीन्डर, ड्रिल टॉर्क रेन्चेज, फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रीकेन्ट्स एप्लीकेटर</p> <p>(घ) हस्त औजार जैसे स्पैन्डर, प्लायर, स्कू इडर, हथौरा, टॉर्क टूल, कोल्ड चिसेल, ड्रिल बीट और बर, टूल बीट, हैक सॉव, हैक साव ब्लेड और फेन, बैंड्सॉव रॉल, इर्डस, डाइन्ट, बढईगीरी के औजार, राजमिस्त्री के औजार और स्टील फाइस।</p>
131.	टैक्टर, थ्रेसर, हारवेस्टर और उनके संलग्न और पार्ट्स।
132.	ट्रान्सफॉर्मर।
133.	संचारण टावर।
134.	छाता और उनके अतिरिक्त पार्ट्स और अवयव परन्तु बागवानी छाता रेन वीयर(वर्षा कोट)को छोड़कर।
135.	वन्सपति जिसे वन्सपति घी भी जाना जाता है, भारत में उत्पादित या निर्मित और विभिन्न व्यापार नाम एवं विवरण के अंतर्गत बिक्री जैसे डालडा, कुसुम इत्यादि।
136.	जिन्गीली तेल और ब्रान तेल।
137.	रही कागज।
138.	तौलने को मशीन और तौलने का तुला और सभी प्रकार के बाट
139.	लिखने के साधन जैसे लेड पेन्सिल, सभी प्रकार और विवरण के पेन, रीफिल, कार्ट्रीज, नोजल, नीब, ज्योमेट्री बॉक्स, और लेखन स्याही जो किसी दूसरी अनुसूची में या अन्य जगह विनिर्दिष्ट नहीं है।
140.	एक्स-रे फिल्मस आर अन्य डायगोनोस्टीक फिल्म।
141.	जिप्पर या जीप बांधने वाला और उनके पार्ट्स।

- (4) उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची III के भाग II को निम्नवत् अनुसूची III के भाग II से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

आई0 टी0 प्रोडक्ट

क्रम सं०	वस्तु का नाम
1	वर्ड प्रोसेसिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक टाइप राईटर
2	इलेक्ट्रॉनिक कैल्कुलेटर
3	कम्प्यूटर सिस्टम्स और पेरिफेरल्स, इलेक्ट्रॉनिक डायरीज
4	क्रम सं० 1,2 एवं 3 पर उल्लिखित वस्तुओं के पुर्जे एवं उपसाधन
5	डी0 सी0 माइक्रो मीटरस्/उत्पादन हेतु स्टीपर्स मोटर जो 37.5 वॉट्स से अधिक नहीं
6	क्रम सं० 5 उल्लिखित वस्तु के पुर्जे
7	निर्बाध विद्युत् प्रवाहक (यू पी० एस०) और उसके पुर्जे
8	स्थायी चुम्बक और ऐसे वस्तु जो स्थाई चुम्बक बनने हेतु आशयित हों
9	लाइन टेलीफोनी हेतु विद्युत् एपरेटरस् या लाइन टेलिग्राफि, लाइन टेलिफोन सेट कॉर्डलेस हैंड सेट सहित और टेलिकमनियुकेशन एपरेटरस् फार कैरिज करेन्ट लाइन सिस्टम्स या डिजिटल लाइन सिस्टमन्स: विडियो फोनस।
10	माइक्रोफोनस मल्टीमिडिया स्पीकरस, हेड फोन्स, एयर फोन्स और कम्बाइन्ड माइक्रोफोनस/ स्पीकर सेट्स और उनके पुर्जे।
11	टेलिफोन एन्सरिंग मशीन के पुर्जे।
12	साउन्ड रिकार्डिंग हेतु प्रिपेयरेड अनरेकॉर्डेड मिडिया या इस तरह के सदृश रेकॉर्डिंग क्रियाओं हेतु
13	किसी भी मिडिया का आई० टी० सॉफ्टवेयर।
14	रेडियो या टी० भी० ब्रॉडकास्टिंग हेतु यंत्र को छोड़ कर संचरण यंत्र, संचरण यंत्र ग्राही यंत्र सहित, डिजिटल स्टील इमेज विडियो कैमरा, सेलुलर टेलिफोन।
15	रेडियो कर्मनियुकेशन रिसेभर, रेडियो पेजर
16	1. एरीयल्स, एन्टेनारस् और उनके पुर्जे। 2. क्रम सं० 14 एवं 15 पर उद्धृतों के पुर्जे।
17	एल० सी० डी० पैनल्स ए०ली०डी० पैनल्स और उनके पुर्जे।
18	इलेक्ट्रीकल कपासिटर, स्थाई, परिवर्तनीय या समायोज्य (प्री सेट) और उनके पुर्जे।

19	इलेक्ट्रीकल रेजीस्टर (रिहॉस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित) हीटिंग रजिस्टर को छोड़ कर
20	प्रिन्टेड सर्किट।
21	स्वीच, कनेक्टरस और 5 एम्पीयर भोल्टेज तक का रिलेस जो 250 भोल्ट से अधिक न हो, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज।
22	टी0 भी0 पिक्चर टयुब्स को छोड़कर डाटा/ग्राफिक्स डिस्पले टयुब्स एवं उसके पुर्जे।
23	डायोड्स, ट्रांजीस्टर्स और सदृश सेमी कन्डक्टर उपकरण; फोटो सेन्सेटीव सेमी कन्डक्टर उपकरण, फोटो भोल्टीक सेल सहित जो मॉड्यूल्स में समायोजित अथवा नहीं या पैनल्स में बना लाईट इमिटिंग डायोड्स; माउन्टेड पिजो इलेक्ट्रीक क्रिस्टल्स।
24	इलेक्ट्रॉनिक इन्टीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो एसेम्बलीज।
25	सिगनल जेनेरेटरस और उसके पुर्जे।
26	ऑप्टिकल फाइबर केबुल्स।
27	ऑप्टिकल फाइबर केबुल्स और ऑप्टिकल फाइबर बनडल्स और उसके पुर्जे।
28	लिक्वीड क्राइस्टल उपकरण, प्लैट पैनल डिस्पले उपकरण और उसके पुर्जे।
29	कैथोड किरण असिलोस्कोपस, स्क्वैट्रम एनालाइजर, क्रॉस-टॉक्स मीटर, गेन मेजरिंग उपकरण, डिस्टॉरशन फैक्टर मीटर, सोफोमीटर, नेटवर्क - लॉजिक एनालाइजर और सिगनल एनालाइजर।

(5) उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची III के भाग III को निम्नवत् अनुसूची III के भाग III से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

क्र० सं०	वस्तु का नाम
1.	जावत (मतस्य सहित) वसा एवं तेल, अपरिष्कृत, परिष्कृत या शुद्ध।
2.	अपरिष्कृत ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पानी और ग्लिसरॉल लाईज।
3.	वन्सपति वैक्स (ट्राइग्लिसराइज को छोड़कर), मधुमक्खी वैक्स, अन्य कीट वैक्स और स्परमैसीटी, वसा या वन्सपति वसा के उपचार के उपरान्त शेष परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत या रंगीन डीग्रस।
4.	जावत वसा या वन्सपति वसा उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्मलीकृत, सल्फरीकृत, प्लोन, पॉलीमराइज्ड, निर्वात तापन या अक्रिय गैस में या अन्य और इस समय के तेल का निर्माण।
5.	तरल ग्लूकोज(अनौषधिय)।
6.	मैग्नीज अयस्क और सान्द्रण, फेरुजीनस मैग्नीज अयस्क सहित और 20 प्रतिशत या अधिक सांद्रित मैग्नीज। शुष्क रूप से गणित।
7.	कॉपर अयस्क और सान्द्रण।
8.	निकेल अयस्क और सान्द्रण।

9.	कोबाल्ट अयस्क और सान्द्रण।
10.	अल्युमिनियम अयस्क और सान्द्रण।
11.	लीड अयस्क और सान्द्रण।
12.	जस्ता अयस्क और सान्द्रण।
13.	टीन अयस्क और सान्द्रण।
14.	क्रोमियम अयस्क और सान्द्रण।
15.	टंगस्टन अयस्क और सान्द्रण।
16.	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सान्द्रण।
17.	मोलीबीडेनम अयस्क और सान्द्रण।
18.	टायटेनियम अयस्क और सान्द्रण।
19.	नायोबियम, टैंगटलम, मेनाडियम या जिर्कोनियम अयस्क और सान्द्रण।
20.	बहुमूल्य धातु अयस्क और सान्द्रण।
21.	अन्य अयस्क और सान्द्रण।
22.	आयरन स्टील विनिर्माता से प्राप्त दानेदार स्लैग (स्लैग बालू)।
23.	बेनजोल।
24.	टॉलिऑयल।
25.	जाइलॉल।
26.	नेफथालिन।
27.	फेनॉल्स।
28.	क्रोजोल ऑयल्स।
29.	प्रसम पाराफीन।
30.	ब्यूटाडीन।
31.	फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन और आयोडीन।
32.	सबलाइज या प्रीसीपेटेड सल्फर, कोलाइड सल्फर।
33.	कार्बन (कार्बन ब्लैक्स और कार्बन का अन्य अपरूप जो अन्यत्र वर्णित या शामिल नहीं है)।
34.	हाइड्रोजन, रेयर गैस जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है (मेडिकल ग्रेड)।
35.	क्षार या क्षारीय भू-धातु, रेयर भू-धातु, स्कैन्डियम और युट्रियम, अपमिश्रित या नहीं या अन्तर्मिश्रित धातु, पारा।
36.	हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड।
37.	सल्फ्यूरिक एसिड, और उनका एनहाइड्राइड्स, ओलियम।

38.	नाइट्रीक एसीड, सल्फ्यूरिक एसीड।
39.	डाइफॉसफोरस पन्टाऑक्साइड, फॉसफोरीक एसीड और पोलिफॉसफोरीक एसीड।
40.	बोरन का ऑक्साइड, बोरीक एसीड।
41.	अधातु के हैलाइड्स और हैलाइड ऑक्साइड।
42.	अधातु के सल्फाइड, वाणिज्यिक फॉसफोरस ट्राईसल्फाइड।
43.	अमोनिया, निर्जलीकृत या जलीय रूप में।
44.	सोडियम हाइड्रोक्साइड (कॉस्टिक सोडा), पोटेशियम हाइड्रोक्साइड(कॉस्टिक पोटेश) सोडियम या पोटेशियम का पैरोक्साइड।
45.	मैग्नेशियम का हाइड्रोक्साइड और पैरोक्साइड, स्ट्रॉन्टियम या बेरियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और पैरोक्साइड।
46.	अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
47.	क्रोमियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड।
48.	मैंगनीज ऑक्साइड।
49.	आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड।
50.	कोबाल्ट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, वाणिज्यिक कोबाल्ट ऑक्साइड।
51.	टीटानियम ऑक्साइड।
52.	हाइड्राजिन और हाइड्राक्सीलएमाइन और उनके अकार्बनिक लवण, दूसरे अकार्बनिक भस्म। दूसरे धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और पैरोक्साइड।
53.	पन्चूराइड्स फ्लूरोसिलीकेट, फ्लूरो अल्युमीनेट्स और अन्य जटिल फ्लूरीन लवण।
54.	क्लोराइड, क्लोराइडऑक्साइड और क्लोराइडहाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड और ब्रोमाइडऑक्साइड, आयोडाइड और आयोडाइडऑक्साइड।
55.	क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स, ब्रोमेट्स और परब्रोमेट्स आयोडेट्स और परेआयोडेट्स।
56.	सल्फाइड्स, पॉलीसल्फाइड्स।
57.	डिथियोनाइट्स और सल्फोक्सीलेट्स।
58.	सल्फाइड्स, थायोसल्फेट।
59.	कॉपर सल्फेट।
60.	सल्फाइड्स, सल्फेट्स।
61.	फॉसफीनेट्स (हाइपोफॉसफाइड्स), फॉसफोनेट्स (फॉसफेट्स) और पॉलीफॉसफेट्स।
62.	कार्बोनेट्स, परॉक्सीकार्बोनेट्स (परकार्बोनेट्स), वाणिज्यिक अमोनियम कार्बोनेट्स जिसमें अमोनियम कार्बोनेट शामिल है।

63.	साइनाईड्स, साइनाईडऑक्साइड और जटिल साइनाईड्स।
64.	पयूलमिनेट्स, साइनेट्स और थायोसाइनेट्स।
65.	बोरेट्स, पेराक्सोबोरेट्स(परबोरेट्स)।
66.	सोडियम डाइक्रोमेट।
67.	पोटाशियम डाइक्रोमेट।
68.	रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व और रेडियोधर्मी आइसोटोप्स (विखंडनीय रासायनिक तत्व और आइसोटोप्स सहित) और उनके यौगिक, मिश्रण और इन उत्पादों के अवशेष।
69.	रेडियोधर्मी रसायन के आइसोटोप्स।
70.	ऐसे आइसोटोप्स के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं।
71.	रेयर भूतत्व यीट्रियम या स्कैन्डीयम या इन धातुओं के मिश्रण का कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक।
72.	फेर्रोफॉस्फोरस को छोड़कर, रासायनिक रूप से परिभाषित अथवा नहीं फॉस्फाईड।
73.	कैल्सियम कार्बाईड।
74.	इथीलीन, प्रोपायलीन।
75.	वलीय हाइड्रोकार्बनस।
76.	हाइड्रोकार्बनस के हैलोजेनेटेड व्युत्पन्न।
77.	सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या हाइड्रोकार्बनस के नाइट्रोसेटेड्स व्युत्पन्न, हैलोजेनेटेड अथवा नहीं।
78.	गीथानोल।
79.	आइ-इथाइलीन ग्लाइकॉल, मोनोइथाइलीन ग्लाइकॉल, ट्राइइथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन लाइकॉल, हेवी इथाइलीन ग्लाइकॉल।
80.	फेनॉल, फेनॉल अल्कोहल।
81.	हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड फेनॉल या फेनॉल अल्कोहल के व्युत्पन्न।
82.	इथर, इथर अल्कोहलस, इथर फेनॉलस, इथर अल्कोहलफेनॉलस, अल्कोहल पेरोक्साइड्स, इथर पेरोक्साइड्स, कीटोन पेरोक्साइड (रासायनिक रूप से परिभाषित अथवा नहीं) और उनके हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
83.	इपीक्साइड्स, इपीक्सी अल्कोहलस, इपीक्सीफेनॉलस और इपीक्सी इथर तीन सदस्यीय छल्ला और उनके हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
84.	इथीलीन ऑक्साइड।
85.	एसीटल्स टोर हेमीएसीटल्स, ऑक्सीजन फंक्शन के साथ अथवा नहीं और उनके हैलोजेनेटेड,

	सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
86.	अल्डीहाइड औक्सीजन फंक्शन के साथ अथवा नहीं, पाराहाइड्रस के बलयाकार पॉलीमर्स के अल्डी हाइड्रस, पारा फॉर्मल्डीहाइड्रस।
87.	उत्पाद शुल्क अधिनियम-1985 के शीर्ष सं०-29.12 के उत्पाद के हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
88.	सेच्युरेटेड एसीक्लीक मोनो कार्बोक्सीलीक एसीड और उनके एनहाइड्राइड्स, हैलाइड्स, पेरोक्साइड्स और पेरोक्सीएसीड्स, उनके हैलोजनेड, सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
89.	अनुसुच्युरेटेड एसीक्लीक मोनोकार्बोक्सीलीक एसीड उनके एनहाइड्राइड्स, हैलाइड्स, पेरोक्साइड्स और पेरोक्सी एसीड उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड और नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
90.	पोलीकार्बोक्सीलीक एसीड, उनके एनहाइड्राइड्स हैलाइड्स, पेरोक्साइड्स और पेरोक्सी एसीड्स, उनके हैलोजनेटेड, पेरोक्साइड्स और पेरोक्ससएसीड, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
91.	अतिरिक्त औक्सीजन फंक्शन के साथ कार्बोक्सीलीक एसीड और उनके एनहाइड्राइड्स, हैलाइड्स, पेरोक्साइड्स और इरोक्सी एसीड, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
92.	फॉसाफोरिक इस्टर्स और उनके साल्ट जिसमें लैक्टो फॉसफेट शामिल है, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
93.	अन्य कार्बनिक अम्ल के इस्टर्स (हाइड्रोजन हैलाइड्स के इस्टर को छोड़कर) और उनके साल्ट, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न।
94.	एमाइन-फंक्शन यौगिक।
95.	औक्सीजन-फंक्शन एमीनो यौगिक।
96.	क्वाटरनैरी अमोनियम साल्ट और इड्रोक्साइड्स, लेसीथीन्स और अन्य फॉसफोमीनो एसीड।
97.	कारबोक्सी एमाइड-फंक्शन यौगिक, कार्बोनिक एसीड के एमाइड-फंक्शन यौगिक।
98.	कारबोक्सी एमाइड-फंक्शन यौगिक (सक्कारिन और इनके साल्ट) और इमाइन फंक्शन यौगिक।
99.	नाइट्राइल फंक्शन यौगिक।
100.	डाइजो एनो-ओराजौकसी यौगिक।
101.	हाइड्राजाइन या हाइड्रॉक्सीमाइन के कार्बनीय व्युत्पन्न।
102.	ऑर्गेनो-सल्फो यौगिक।
103.	इथिलीन डायामाइन ट्रेट्राएसीटीक एसीड, नाइट्रीलो ट्राइएसीटीक एसीड और उनके व्युत्पन्न।
104.	हेटेरोसाइक्लीक यौगिक, सिर्फ हेट्रोएटम्स औक्सीजन के साथ।

105.	हेटेरोसाइक्लीक यौगिक, सिर्फ एटम्स नाइट्रोजन के साथ।
106.	न्युक्लीआइ एसीड और उनके साल्ट; अन्य हेटेरोसाइक्लीक यौगिक।
107.	सल्फोनामाइड्स।
108.	ग्लाइकोजाइड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषण द्वारा पुनर्उत्पादित और उनके साल्ट, ईथर्स, एस्टर्स और अन्य व्युत्पन्न।
109.	वन्सपति अल्कोलाइड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषण द्वारा पुनर्उत्पादित और उनके साल्ट, ईथर्स, एस्टर्स और अन्य व्युत्पन्न।
110.	इथाइलीन डायामीन टेट्राएसीटिक एसीड, नाइट्रीलोटाइएसीटिक एसीड और उनके व्युत्पन्न।
111.	वन्सपति मूल के टैनिन निष्कर्षण; टैनिंस और उनके लवण, ईथर, ईस्टर और उनके व्युत्पन्न।
112.	संश्लेषित कार्बनीय टैनिंग पदार्थ; अकार्बनीय टैनिंग पदार्थ; टैनिंग निर्मित जिसमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ सम्मिलित हो अथवा नहीं; प्रीटैनिंग के लिए इजाइमेटिक निर्माण।
113.	रंजक पदार्थ या वन्सपति या जावक मूल (रंजक निष्कर्षण सहित लेकिन एनीमल ब्लैक छोड़कर), रासायनिक रूप से परिभाषित अथवा नहीं; रंजक पदार्थ या वन्सपति या जावक मूल के आधार पर निर्माण।
114.	संश्लेषित कार्बनीय रंजक पदार्थ, रासायनिक रूप से परिभाषित अथवा नहीं; संश्लेषित अकार्बनीय रंजक पदार्थ के आधार पर निर्मित एक प्रकार का संश्लेषित कार्बनीय उत्पाद जो फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट के रूप में प्रत्युक्त या ल्यूमिनोफोरस जैसा, रासायनिक रूप से परिभाषित अथवा नहीं।
115.	कलर लेक्स; निर्माण कलर लेक्स पर आधारित।
116.	पिगमेंट्स और अन्य रंजक पदार्थ।
117.	ग्लास फिट और अन्य ग्लास, पाउडर, ग्रेनुल्स या फ्लेक्स के रूप में।
118.	प्रीपैड ड्रायर्स।
119.	छपाई स्याही (इंक) सान्द्र या ठोस।
120.	कैसीन, कैसीनेट्स और अन्य कैसीनेट्स व्युत्पन्न, कैसीन ग्लूज।
121.	एजाइम्स, प्रीपैड एजाइम्स जो अन्यत्र कहीं परिभाषित नहीं या शामिल।
122.	कृत्रिम ग्रेफाइट: कोलाइडल या सेमीकोलाइडल ग्रेफाइट; ग्रेफाइट के आधार पर निर्मित या पेस्ट के रूप में अन्य कार्बन, ब्लॉक्स प्लेट्स या अन्य अर्द्ध निर्माण।
123.	एक्टिवेटेड कार्बन: एक्टिवेटेड नेचुरल मिनरल प्रॉडक्ट्स, एनीमल ब्लैक, स्पेंट एनीमल ब्लैक सहित।
124.	बुड पल्प के विनिर्माण से प्राप्त परिशेष सान्द्र अथवा नहीं, डिमुगर्ड या रासायनिक रूप से ट्रिटेड, लिग्नीन सल्फोनेट्स सहित लेकिन टॉल ऑयल छोड़कर।
125.	राजीन और रेसीन अप्ल, और उनके व्युत्पन्न: राजीन स्प्रीट और राजीन तेल; रनगम्स।

126.	बुडटार: बुडटार ऑयल: बुडक्रेओजोट: बुडनेपथा: वेंजीटेबुल पिच: ब्रिक्स पिच और रोजीन पर आधारित अन्य सदृश निर्माण, रेजीन एसिड या वेंजीटेबुल पिच पर।
127.	फिनीशिंग एजेंट, डाइंग को गति देने हेतु डाइंग कैरियर, या फिक्सिंग ऑफ डाइंग स्टाफ और अन्य उत्पाद और टेक्सटाइल में प्रयुक्त एक प्रकार का प्रीपेरेशन (उदाहरणस्वरूप ड्रेसिंग और मोडरिंग), पेपर, लेदर या सदृश इंडस्ट्री, जो अन्यत्र कहीं पारिभाषित अथवा शामिल नहीं।
128.	प्रीपेयरड रबर एक्सीलेटर; कम्पाउन्ड प्लास्टिसिफायर फॉर रबर या प्लास्टिक्स, जो अन्यत्र पारिभाषित नहीं या एंटीऑक्सीडाइजिंग प्रीपेरेशन और अन्य कम्पाउन्ड स्टेबलाइजर फॉर रबर या प्लास्टिक।
129.	छपाई उद्योग में प्रयुक्त रीडयूसर और ब्लॉकट वाश/रोलर वाश।
130.	रीएक्शन इनीसियेटर्स, रीएक्शन एक्सीलेटर्स और कैटैलिक प्रीपेरेशंस, जो अन्यत्र पारिभाषित अथवा शामिल नहीं।
131.	मिक्सड एल्काइल बेंजींस और मिक्सड एल्काइल एफथालींस जो केंद्रीय उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 1985 के शीर्ष सं०-27.07 अथवा 29.02 के अन्तर्गत हैं।
132.	इलेक्ट्रॉनिक्स में डोप हेतु प्रयुक्त रासायनिक तत्व, डिरोज के रूप में, ब्रॉम या डोप हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में डोप हेतु प्रयुक्त रासायनिक यौगिक।
133.	इंडस्ट्रीयल मोनोकार्बोनाइलिकफोर्टी एंटीऑक्सीडेंट्स, जो अन्यत्र पारिभाषित नहीं।
134.	छपाई उद्योग में प्रयुक्त रिटार्डर्स।
135.	एल० एल० डी० पी० इ०/एल० डी० पी० इ०।
136.	एच० डी० पी० इ०।
137.	प्राथमिक रूप में इथीलीन के पॉलीमर।
138.	प्राथमिक रूप में प्रोपीलीन के पॉलीमर अथवा अन्य के ओलेफिन।
139.	प्राथमिक रूप में सटाइरीन के पॉलीमर, पॉलीस्टेरीन रेजीन और मैलाइक रेजीन।
140.	प्राथमिक रूप में विनाइल एसैटेड के पॉलीमर अथवा अन्य के विनाइल इस्टर, प्राथमिक रूप में अन्य विनाइल पॉलीमर।
141.	पी० वी० सी०।
142.	प्राथमिक रूप में एक्रोलीक पॉलीमर।
143.	प्राथमिक रूप में पॉलीएसीटल, अन्य पॉलीमर और एपोक्साइड रेजीन और प्राथमिक रूप में पॉलीकार्बोनेट, एल्कीड रेजीन, पॉलीएलाइल इस्टर और अन्य पॉलीएस्टर।
144.	पॉलीथीलीन टेरैफथलेट चीप्स।
145.	प्राथमिक रूप में पॉलीअमाइड।
146.	प्राथमिक रूप में एमीनो रेजीन, पॉलीफेनाइलीन ओक्साइड, फॉर्मलिक रेजीन और पॉलीयूरेथेन।

147.	प्राथमिक रूप में सिलिकॉन्स।
148.	पेट्रोलियम रेजीन, कमारोन-इनडेन रेजीन, पॉलीटरपेन्स, पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीसल्फोन्स और अन्य उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के प्रथम अनुसूची के अपयाय 39 के नोड में विनिर्दिष्ट है, कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है अथवा प्राथमिक रूप में शामिल है।
149.	सेलुलोज और इसके रासायनिक व्युत्पन्न, और सेलुलोज ईथर जो कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है अथवा प्राथमिक रूप में शामिल है।
150.	नेचुरल पॉलीमर (उद्राहरणस्वरूप एलजीनिक एसिड) और मोडीफाइड नेचुरल पॉलीमर्स (उदाहरणस्वरूप हाईड्रॉक्सी प्रोटीन्स, नेचुरल रबर के रासायनिक व्युत्पन्न), प्राथमिक रूप में अन्यत्र कहीं पारिभाषित और शामिल नहीं।
151.	आयन इक्सचेंजर्स जो प्राथमिक रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के शीर्ष सं० 39.01 से 13 पर आधारित पोलिमर्स है।
152.	सेल्फ एग्रेसिव प्लेट्स, सीट्स, फिल्म क्वायल, टेप, प्लास्टिक स्ट्रीप रॉल में अथवा नहीं।
153.	प्लेट्स, शीट्स, फिल्म, क्वायल और प्लास्टिक के स्ट्रीप, नौन-सेलूलर, चाहे लेक्यूर्ड अथवा मेटलाइज्ड अथवा लूमीनेटेड, सपोर्टेड अथवा उसी तरह दूसरे पदार्थों से मिला हो या नहीं।
154.	फ्लेक्सिबल प्लेन फिल्म।
155.	पैकिंग के लिए प्लास्टिक के सामान, जैसे बक्से, केसेज, क्रेट्स, कॅनटेनर्स, कारबॉयज, बोतल, जेरीकेन्स और उनके स्टॉपर्स, लीड्स, प्लास्टिक के कीप (परन्तु जिसमें इन सुलेटेड वेयर्स शामिल नहीं है)।
156.	नेचुरल रबर, ब्लाया, गत्ता पर्चा, ग्वेयूले, चिक्ले और सदृश नेचुरल गम्स प्राथमिक रूप में या प्लेट, शीट अथवा स्ट्रीप में।
157.	सिंथेटिक रबर और प्राथमिक रूप में ऑयल से व्युत्पादित फेक्टाइस या प्लेट्स, सीट्स या स्ट्रीप्स में।
158.	प्राथमिक रूप में रीक्लेम्ड रबर या प्लेट्स सीट्स या स्ट्रीप्स में।
159.	कम्पाउन्डेड रबर, अनमल्कनाइन्ड, प्राथमिक रूप में अथवा प्लेट्स शीट्स, अथवा स्ट्रप अनमलल्कनाइज्ड रबर के आर्टिकल एवं स्वरूप के अलावे जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची I के अध्याय 40.06 में वर्णित के अलावे है।
160.	मेकानिकल 35 पल्प, केमिकल 35 पल्प, सेमी केमिकल 35 पल्प और दूसरे फाइब्रस सेल्यूलोजिक मेरेरियल्स के पल्प।
161.	कार्टन्स (जिसमें फ्लैटेन्ड अथवा फोल्डेड कार्टन्स शामिल है), बक्से (जिसमें फ्लैटेन्ड अथवा फोल्डेड बक्से शामिल है), केसेज, बैग्स और अन्य पैकिंग पेपर के कनटेनर पेपर चाहे वह एसेम्बुल्ड या अनएसेम्बुल्ड रूप में है।

162.	पेपर प्रिन्टेड लेबल और पेपर बोर्ड प्रिन्टेड लेबल।
163.	पेपर सेल्फ एग्रेसिव टेप और पैकिंग में व्यवहार होने वाले प्रिन्टेड रैपर
164.	शैक्स और बैग जा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के प्रथम अनुसूची के अध्याय 53 के शीर्ष 53.03 के अथवा अन्य टेक्सटाइल्स बैटड फाइबर की तरह पैकिंग में व्यवहार होता है।
165.	हेसियन और जूट क्लौथ, एच0 डी0 पी0 ई0 या पी0 पी0 बी0 के फेब्रिक और क्लौथ तथा ऐसे कपड़े या बुने फेब्रिक से निर्मित शैक्स और बैग।
166.	कार बॉस ग्लास के बोतल, जार, ग्लास के फायल्स, उस तरह को जो वस्तुओं के पैकिंग में व्यवहार होता है स्टापर्स, लीड्स और अन्य क्लोजर्स।
167.	ग्लास फाइबर्स (ग्लास उल और ग्लास फिलामेंट को शामिल कर) और वैसे आर्टिकल्स (उदाहरण के लिए: चाने, बुना हुआ फेबिक) चाहे इनप्रीगनेटेड हो या नहीं, प्लास्टिक या प्लास्टिक कोटेड कवर्ड या लेमिनेटेड।
168.	ऐसेप्टिक पैकेजिंग अल्युमिनियम फॉयल जिसकी थिकनेस 0.2 एम0 एम0 से कम हो और बैकड पाइपर तथा एल0 डी0 पी0 ई0।
169.	स्टॉपर्स, कैप्स और लीड्स(जिसमें क्राउन कॉर्क, स्कू कैप्स और पोरिंग स्टोपर्स) बोतल के लिए कैप्सुल, थ्रेडेड बंग्रसय, बंगकवर्स, सील और अस्तधातु के अन्य पैकिंग एक्सेसेरिज।
170.	वुडेन क्रेटर्स, टाईचेस्ट्स।
171.	पोलीयूरेथीन फोम के शीट।
172.	रेलवे स्वीचेज, क्रोसिंग्स, स्वीच एक्सपेंसन ज्वाइंट्स, स्टी टर्नआउट स्लीपर्स, फीस प्लेट स्टील बक्सीट्स, ट्रैक बोल्ट और नट, इलास्टीक रेल क्लिप्स और रेलवे सिगनल, सिगनलिंग इक्वीपमेंट्स और एक्सेसींग और उनके पाटर्स।
173.	ग्लास शैल्स, लेड ग्लास ट्युब्स, फिलामेंट, मोलीवायर, लेडइनवायर, कैप्स, ड्यूमेट वायर्स, सोल्डर वायर, क्रैपिंग सीमेंट।
174.	प्लास्टिक का स्क्रेप, ग्लास और धातु और ब्रोकन ग्लास।
175.	फ्लेवरिंग इंसंसेज, सनिथेटीक इंसंसियल ऑयल।
176.	जिंक ऑक्साइड।
177.	रेड लेड, लिथार्ज और ग्रेऑक्साइड।
178.	सोडियम सल्फेट।
179.	सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट, कैल्सियम पेट्रोलियम सल्फोनेट।
180.	एसीड स्लज।
181.	सिलिकॉन स्टील स्टम्पिंग, हॉलो पोरसीलीन कुसींग, ग्राइन्डिंग हवील।
182.	इनसुलेटिंग पेपर और बोर्ड, इनसुलेटिंग फेब्रिकटेप्स और शीट्स।

183.	पेट्रोलियम जेली IP ।
184.	ले-पलटट्यूब्स ।
185.	पोलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, पाउचेज और क्लोजर्स ।
186.	माइक्रोसेलुलर शीट्स और बनवारशीट्स ।
187.	कौपर क्लैड शीट्स ।
188.	रजौन, टरपीन कनिंकल्स जैसे पाइन ऑयल, डीपेन्टाइन, डीडी, टरपेन्टाइन, टरपीनॉल, कम्फोर ।
189.	इलेक्ट्रीकल गुड्स, यथा (I) विडिंग वायर एण्ड स्ट्रीप्स (II) स्वीचेज फ्यूजस्वीचेज यूनिट अपटू 15 आम्पीयर, और क्लोजर में नहीं (III) कन्टैक्टर्स, अग्जूलरी कन्टैक्टर्स, कन्टैक्ट क्लौक (iv) कन्ट्रोल गेयर्स और स्टार्टर्स (v) आमीटर, के० डब्लू० एच०, मीटर, वोल्टमीटर (vi) इनसुलेशन मेटेरियल्स, इनसुलेंटर (vii) क्लाइन्टिंग मेटेरियल्स (viii) सर्किट गेजर्स एच० आर० सी० फ्यूज थर्मोस्टैट (ix) प्रोग्रामेबुल लॉजिक कन्ट्रोल, टाइमर (x) स्वीचबोर्ड, पैनल बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, कन्ट्रोल पैनल, मोटर कन्ट्रोल, जेक्टर, भावर कन्ट्रोल सेक्टर बससिस्ट, ब्रॉड कन्ट्रोल क्यूबिकल, कन्ट्रोल डेस्क, पुस बटन स्टेशन, लोकल कन्ट्रोल स्टेशन, की औसक, फीडर पिलर, एच० एच० पी० एल०, (xi) इलेक्ट्रीकल रीलेज और मिगल फेजिंग रीलेन्टर और ट्रांसफॉर्मर (ii) जोरब्रेड ट्रांसमिशन लाइन मेटेरियल्स जिस में कम्पॉनेंट और एक्सेसरीज और उनके पार्ट्स शामिल हैं ।
190.	एप्लीकायड टेरेष्चालिक एसीड ।
191.	आर्टिकल अरिज मेटल्स, रग्ना-गर्ले, लेड्स, क्रेट्स, कन्टैक्टर्स और उनके रट्टिंग्स, कॅम्प घासुओं के लीड्स के घासुओं के पैकिंग में व्यवहृत होने हैं । यानु किन्तु इन सुलेटेज गेजर्स शामिल नहीं हैं ।
192.	आटा चक्की पत्थर ।

(b) यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी ।

(सं०-वैट—7/2005—i)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

1 अप्रिल 2006

एस० ओ० 31—एस० ओ० 30, दिनांक 1 अप्रिल 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अर्थात् अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-वैट—7/2005—i)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

**Government of Bihar
Finance (Commercial Taxes) Department**

NOTIFICATION

The 1st April 2006

S.O. 30, dated 1st April, 2006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Schedule I, Schedule II and Schedule III appended to the said Act follow:—

1. The existing Schedule I appended to the said Act, is substituted with the following Schedule I.

Sl.No.	Goods
1	Agricultural implements manually operated or animal driven.
2	Aids and implements used by handicapped persons.
3	Aquatic feed, poultry feed and cattle feed including grass, hay, straw, husk of pulses, de-oiled cake, wheat bran and supplements, concentrates and additives of such feed.
4	Bangles made of any kind of materials except those made of gold, silver and platinum.
5	Betel leaves.
6	Books, periodicals and journals excluding those specified elsewhere in this schedule or any other schedule but including Braille books, Maps, Charts and Globes.
7	Bread except pizza-bread containing any type of fruit or vegetable.
8	Bullock cart.
9	Chakla and bejan, dal-stirrer.
10	Charkha. Ambar Charkha; handlooms and handloom fabrics and Gandhi Topi.
11	Charcoal.
12	Coarse grains that is to say all grains other than paddy, rice and wheat.
13	Coconut fiber.
14	Conch Shell and conch shell products.
15	Condoms and contraceptives.
16	Cotton and silk yarn in hank.
17	Curd, Lassi, butter milk and separated milk
18	Duty Entitlement Pass Book (D.E.P.B.)
19	Earthen pot but not including ceramic pot.
20	Electrical energy.
21	Firewood excluding casurina and eucalyptus timber.
22	Fishnet, fishnet fabrics and seeds of fish, prawn and shrimp.
23	Fresh milk and pasteurised milk.
24	Fresh plants, saplings and fresh flowers.
25	Fresh vegetables, including potato and onion, and fresh fruits.
26	Fresh garlic and ginger.
27	Gur, Jaggary and Rub gur
28	Sale of goods, other than kerosene oil, by public distribution system (PDS) shops.
29	Khadi readymade garments and khadi made-ups
30	Handicrafts, household articles made of brass and bell metal.

31	Hosiery Yarn
32	Human blood and blood plasma.
33	Idols, toy and doll made of clay
34	Indigenous handmade musical instruments
35	Indigenous handmade unbranded nuggets, commonly known as bori
36	Indigenous handmade unbranded soap
37	Kite.
38	Kumkum, bindi, alta and sindur.
39	Lac and shellac.
40	Mat locally known as chatai other than that made of plastic in any form.
41	Meat, fish, prawn, and other aquatic products when not cured, or frozen; and dry fish commonly known as sutki mach eggs and livestock and animal hair.
42	National flag
43	Newspaper.
44	Puffed rice, commonly known as murhi; flattened or beaten rice (poha), commonly known as chura; parched rice, commonly known as khoi; murmura; lai; mukundana; lakhtho; tilkut; anarsa; litti and chokha.
45	Papad commonly known as papar
46	Non-judicial stamp paper sold by Government Treasures; postal items like envelope, postcard etc. sold by Government; rupee note, when sold to the Reserve Bank of India and cheques, loose or in book form but does not include first day cover, folder.
47	Rakhi.
48	Raw Jute
49	Raw wool
50	Sabai grass and articles made thereof.
51	Sago and Tapioca globules.
52	Salt.
53	Salted cooked food made wholly or principally of flour, atta, suji or beson that is to say singara, nimki, kachuri, khasta kachauri, luchi, radhaballavi and dalpuri
54	Semen including frozen semen.
55	Silkworm laying cocoon and raw silk.
56	Slate and slate pencils.
57	Sugar manufactured or made in India, misri and batasa.
58	Seeds of all varieties other than those specified elsewhere in this schedule or in any other Schedule.
59	Sweetmeat other than Cake and Pastry but including curd and khoa.
60	Tender green coconut commonly known as daab
61	(i) Textile fabrics made wholly or partly of cotton, rayon, flax, artificial silk or wool manufactured or made in India, other than those specified elsewhere in any other schedule. (ii) Cotton textile fabrics, coated, covered, impregnated or laminated with plastics when such fabrics are manufactured or made in India, mosquito net fabrics and mosquito net commonly known as moshari.
62	Tobacco, as referred to in the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944, including cigarette, cigar, cheroot, smoking mixture for pipe and cigarette, biri, chewing tobacco, snuff and tobacco for hookah, that is to say, tobacco paste, ready for use in hookah, when all such items are manufactured or made in India.
63	Toddy, Neera and Arak.

64	Unprocessed green leaves of tea
65	Tile frame and brick frame.
66	Water other than— (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralised water, and (ii) water sold in sealed container.
67	Sacred thread, commonly known as yagyopavit
68	Clay lamps
69	Sattu

2. After serial number 3 of Schedule II appended to the said Act, the following new serial number 4 and its corresponding entries shall be added, namely: -

Sl.No.	Goods
4	Paddy, Rice, Wheat, Pulses, Flour, Atta, Maida, Suji and Besan.

3. The existing part I of Schedule III appended to the said Act, is substituted with following part I of Schedule III :-

Sl.No.	Goods
1	Agricultural implements not operated manually or not driven by . and spare parts, accessories and components thereof.
2	Aluminium in all its forms, namely, aluminium ingots, slabs, bars, rods, wires, coils, sheets, plates, circles, sections, channels, angles, joists, extrusions, including aluminium scraps and aluminium foils.
3	All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P.B.X) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X) and spare parts, components and accessories thereof.
4	All intangible goods like copyright, patent, and replenishment (REP) license other than those specified elsewhere in this schedule or any other schedule.
5	All kinds of bricks including brickbats, jhama, fly ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles, and refractory monolithic and fly ash.
6	All types of toys except those specified elsewhere in this schedule or any other schedule and excluding electronic toys.
7	All types of yarn including jute yarn and jute twine and sewing thread but excluding cotton and silk yarn in hank.
8	All utensils including pressure cookers and pans excepting utensils made of precious metals.
9	Aluminium conductor steel reinforced (ACSR), all aluminium conductor(AAC) , and all aluminium alloy conductor(AAAC).
10	Areca nut powder and betel nut.
11	Articles made of rolled-gold and imitation gold and all types of imitation jewellery.
12	Asphalt felt, roofing felt, water-proof felt, polymeric felt and plastic felt.
13	Bamboo including split bamboo and cut bamboo.
14	Bagasse.
15	Basic chromium sulphate, sodium bi-carbonate and Bleach liquid.
16	Barley.
17	Battery lead and ash and separator for storage battery.

18	Bearing including plummer blocks, housing for bearing, locate rings and covers, adopter withdrawal sleeves, lock nut, lock washers, clamps and rolling elements.
19	Beedi leaves.
20	Beltings of all varieties and descriptions.
21	Bicycles, tricycles and cycle rickshaws, and spare parts, accessories and components including tyres and tubes thereof.
22	Biomass briquettes.
23	Bio-fertilisers and micronutrients, plant growth promoters and regulators.
24	Bitumen.
25	Boiler, furnace and parts thereof.
26	Bone meal
27	Household goods such as Jugs, Mugs and Buckets made of iron and steel, aluminium, plastic or other materials, except those made of precious metals.
28	Bulk Drugs.
29	Candles.
30	Cast iron Castings other than those specified elsewhere in this schedule or in any other schedule
31	Castor oil.
32	Caustic soda, caustic potash and soda ash.
33	Motor, operated electrically or otherwise and centrifugal and monobloc and submersible pumps and spare parts, components and accessories thereof.
34	Chemical fertilizers including basic slag, pesticides, weedicides, insecticides, germicides, fungicides and herbicides, other than bleaching powder.
35	Clay including fireclay, fine china clay and ball clay.
36	Coal tar.
37	Coffee beans, cocoa pod, and chicory.
38	Coir and coir products excluding coir mattresses.
39	Unbranded chanachur, bhujia, dalmoot, fried potato chips and salted peanuts.
40	Cervical spinal collar, brace and or those, hand splint, fracture brace and colostomy including face plate and wafer, dialysis bag, urobag, water seal drainage bag.
41	Cotton and cotton waste.
42	Combs.
43	Cups and glasses of paper and plastic.
44	Crucibles.
45	Drugs and medicines, whether patent or proprietary, including vaccines, disposable hypodermic syringes, hypodermic needles, catguts, sutures, surgical dressings, medicated ointments produced under the license issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 but excluding any cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil, whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil is manufactured under any Drug License and whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil contains any medicinal properties.
46	Medical diagnostic kits.
47	Edible oils other than coconut oil and oil cake.
48	Electrodes, electrical insulators.
49	Embroidery or zari articles, that is to say.- (i) imi; (ii) zari; (iii) kasab; (iv) saima; (v) dabka; (vi) chunki; (vii) gota; (viii) sitara; (ix) naqsi; (x) kora; (xi) glass bead; (xii) badla; (xiii) glzal. (xiv) embroidery machines. (xv) embroidery needles

50	Exercise book, drawing book, graph book, account book and laboratory note book.
51	Fibres of all types and fibre waste.
52	Feeding bottles and nipples.
53	Fried grams and roasted grams.
54	Glass chimney other than chimney for use in gas light and petromax light.
55	Goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
56	Gypsum of all forms and descriptions.
57	Hand pump parts and fittings.
58	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower.
59	Hollow polyester fibre.
60	Honey.
61	Hose pipes of all varieties and descriptions including their end fittings.
62	Hosiery goods of all varieties and descriptions.
63	Hurricane lantern, kerosene lamp, petromax and accessories and components thereof and gas mantles.
64	Husk of cereals, and bran of cereals other than wheat bran.
65	Ice.
66	Incense sticks commonly known as, agarbati, dhupkathi, Dhupbati and ha. 1 samagri including sombrani and lobhana.
67	Industrial cables (High voltage cables for voltage exceeding 1000 volt, XLPE Cables, PVC cables, jelly filled cables, optical fibres).
68	IT products as specified in Part-II of this Schedule.
69	Jute batching oil.
70	Knitting wool.
71	Kattha
72	Khandsari.
73	Leaf plates and cups.
74	Lignite.
75	Lime, limestone, clinker and dolomite.
76	Linear alkyl benzene (LAB), Sulphonate Acid, Alfa olefin sulphonate.
77	Maize starch, glucose, maize gluten, maize germ and oil.
78	Mixed PVC stabiliser.
79	Industrial inputs and packing materials as specified in Part-III of this Schedule.
80	Medical equipments, devices and implants.
81	Napa Slabs and Shahabad stones.
82	Newars.
83	Non-ferrous metals and alloys of ferrous and non-ferrous metals, ferrous and non-ferrous metal castings.
84	Nuts, bolts, screws and fasteners.
85	Ores and minerals other than those specified elsewhere in this Schedule.
86	Organic manure.
87	Paper, coated paper, carbon paper, paperboard, paper used for computer printing and newsprint.
88	Paraffin wax- of all grade standards other than food grade standard including standard wax and slack wax.

89	Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes and PVC pipes, and fittings thereof.
90	Pizza-bread, bun or bread containing any type of fruit or vegetable.
91	Plant and machineries of all descriptions.
92	Plastic footwear, hawai chappals and parts and components thereof.
93	Plastic granules, plastic powder and master batches.
94	Poppy seeds.
95	Pre-used motor car.
96	Printed materials including diary, calendar and letter pad.
97	Printing ink excluding Toner and cartridges.
98	Porridge and cottage cheese.
99	Processed or preserved vegetables and fruits, other than dry fruits but including fruit jams, jelly, pickle, fruit squash, fruit paste, fruit drink and fruit juice, whether in a sealed container or not, and wet dates.
100	Pulp of bamboo, wood and paper.
101	Rail coaches engines, wagons and freight containers and parts thereof.
102	Readymade garments other than hosiery goods but including necktie, bow and collar.
103	Refrigerant in the form of liquid or gas.
104	Renewable energy devices and spare parts.
105	Residual liquefied hydrogen gas and other gases used as fuel other than liquefied petroleum gas (L.P.G.).
106	Gloves.
107	Rusk that is hardened bread.
108	Safety matches.
109	Scrap of old and condemned battery.
110	Spectacles and parts and components thereof, contact lens and lens cleaner.
111	Sewing machine and its spare and accessories.
112	Ship liable to be registered under the Merchants Shipping Act, 1958, all types of tugs, floating docks, floating cranes, dredgers, barges and other water vessels including non-mechanised boats.
113	Silk fabrics excluding handloom silk.
114	Skimmed milk powder and UHT milk.
115	Sodium Silicate.
116	Solvent oils other than organic solvent oil.
117	Soya nuggets, commonly known as soya bori.
118	Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric, dry chillies and hing (asafoetida).
119	Sand and grit..
120	Sports goods excluding apparels and footwear.
121	Stainless steel sheets.
122	Starch and starch based glues.
123	(i) Solar thermal device, solar photovoltaic device and combination of solar thermal device and solar photovoltaic device and spare parts of all such devices. (ii) Solar fans, solar lights, solar pumps and solar lanterns, which run on electricity generated by photovoltaic devices.
124	Sugar, other than those manufactured in India.

125	Tallow.
126	Tamarind including tamarind seed powder.
127	Tea.
128	Textile fabrics of all varieties, other than those manufactured or made in India including wire cloths and felt, endless or fitted with linking devices of a kind used in paper making machine or any other machine.
129	Torch.
130	Tools, that is to say,— (a) Power Tools such as electric drills, tapping machines, hammers, sanders, planners, screw drivers, blowers, routers, winches, grinders, super abrasives, non-woven abrasives, bonded abrasives other than stone for polishing floor, stone for sharpening carpenters' instruments, tile polishing blocks and rubbing bricks; (b) Cutting Tools such as taps, milling cutters, reamers, segments, carbide tools, saws, high speed cut-off machines, shears, nibblers, compound miter saws, masonry cutters, diamond dresser cutter, gear hobbs and gear shaper cutters; (c) Measuring Tools such as micrometers, vernier calipers, feeler gauges, height gauges, slip gauges, snap gauges, pressure gauges, dial thermometers, water meter and measuring steel tapes; (d) Hydraulic Tools such as jacks, pipe-benders, torque wrenches, breakers, cylinders and control valves; (e) Pneumatic Tools such as impact wrenches, rammers, grinders, drills torque wrenches, filters, regulators and lubricant applicators; (f) Hand Tools such as spanners, pliers, screw drivers, hammers, torque tools, cold chisels, drill bits and burrs, tool bits, hack-saws, hack-saw blades and frames, band-saw rolls, dice, die-nuts, tools for carpentry, tools for masons and steel files.
131	Tractors, threshers, harvesters and attachments and parts thereof.
132	Transformers.
133	Transmission towers.
134	Umbrella and spare parts and components thereof but excluding garden umbrella Rain-wear(raincoat).
135	Vanaspati also known as vegetable ghee, manufactured or made in India and sold under various trade names and descriptions, such as Dalda, Kusum, etc.
136	Gingili oil and bran oil.
137	Waste paper.
138	Weighing machines and weighing scales and weights of all kinds.
139	Writing instruments such as lead pencils, pen of all varieties and descriptions, refill, cartridges, nozzles, nib. Geometry boxes, colour boxes, crayons, erasers, pencil sharpeners and writing ink other than those specified elsewhere in any other Schedule.
140	X-Ray film and other diagnostic films.
141	Zipper or zip fasteners and parts thereof.

4. For the existing serial numbers and their corresponding entries in Part II of Schedule III appended to the said Act, the following serial numbers and their corresponding entries shall be substituted, namely:

IT Products

Sl. No.	Goods
1	Word processing machines and electronic type writers
2	Electronic calculators

3	Computer systems and peripherals, electronic diaries
4	Parts and accessories of Sl. No. 1, 2, 3
5	DC Micrometers/stepper motors of an output not exceeding 37.5 watts
6	Parts of goods at Sl. No. 5
7	Uninterrupted Power Supplies (UPS) and their parts
8	Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets (Ferrites)
9	Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carries-current line systems or for digital line systems; Videophones
10	Microphones, Multimedia speakers, headphones, earphones and combined microphone/speaker sets and their parts
11	Parts of telephone answering machines
12	Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena
13	IT software on any media
14	Transmission apparatus other than apparatus for radio broadcasting or TV broadcasting, transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image video cameras. Cellular Telephone.
15	Radio communication receivers, Radio pagers
16	(i) Aerials, antennas and their parts (ii) Parts of items Sl. No. 14 and 15
17	LCD Panels, LED Panels and parts thereof
18	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (Pre-set) and parts thereof
19	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
20	Printed circuits
21	Switches, connectors and Relays for upto 5 Amps at voltage not exceeding 250 volts, electronic fuses
22	Data/Graphic display tubes, other than TV picture tubes and parts thereof
23	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices; Photosensitive semi-conductor devices, including Photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; Light emitting diodes; Mounted piezo-electric crystals
24	Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies
25	Signal generators and parts thereof
26	Optical fibre cables
27	Optical fibre and optical fibre bundles and cables
28	Liquid Crystal Devices, Flat Panel Display Devices and parts thereof
29	Cathode ray oscilloscopes, Spectrum Analyzers, Cross-talk meters, Gain measuring instruments, Distortion factor meters, Psophometers, Network and Logic Analyzer and Signal Analyzer

5. The existing part III of Schedule III appended to the said Act, is substituted with part III of Schedule III in the following manner: -

Industrial Inputs

Sl. No.	Goods
1	Animal (including fish) fats and oils, crude, refined or purified.
2	Glycerol, crude, glycerol waters and glycerol lyes.
3	Vegetable waxes (other than triglycerides), bees wax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured; degreas: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.

4	Animal or vegetable fats boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemical modified; inedible mixtures or preparations of fats and oils of this chapter.
5	Liquid glucose (non-medicinal).
6	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
7	Copper ores and concentrates.
8	Nickel ores and concentrates.
9	Cobalt ores and concentrates.
10	Aluminium ores and concentrates.
11	Lead ores and concentrates.
12	Zinc ores and concentrates.
13	Tin ores and concentrates.
14	Chromium ores and concentrates.
15	Tungsten ores and concentrates.
16	Uranium or thorium ores and concentrates.
17	Molybdenum ores and concentrates.
18	Titanium ores and concentrates.
19	Niobium, Tantalum, Vanadium or Zirconium ores and concentrates.
20	Precious metal ores and concentrates.
21	Other ores and concentrates.
22	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel.
23	Benzole.
24	Toluole.
25	Xylole.
26	Napthalene.
27	Phenols.
28	Creosole oils.
29	Normal Paraffin.
30	Butadine.
31	Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine.
32	Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur.
33	Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included).
34	Hydrogen, rare gases excluding oxygen (medicinal grade).
35	Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed mercury.
36	Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chloro sulphuric acid.
37	Sulphuric acid and anhydrides thereof; Oleum.
38	Nitric acid, Sulphonitric acids.
39	Diphosphorous penataoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids.
40	Oxides of boron; boric acids.
41	Halides and halide oxides of non-metals.
42	Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide.
43	Ammonia, anhydrous or in aqueous solution.

44	Sodium hydroxide (caustic soda); Potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of Sodium or Potassium.
45	Hydroxide and peroxide of Magnesium; oxides, hydroxides and peroxides of Strontium or Barium.
46	Aluminium hydroxide.
47	Chromium oxides and hydroxides.
48	Manganese oxides.
49	Iron oxides and hydroxides.
50	Cobalt oxides and hydroxides, commercial cobalt oxides.
51	Titanium oxide.
52	Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides.
53	Fluorides, fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts.
54	Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides.
55	Chlorates and perchlorates; Bromates and perbromates; Iodates and periodates.
56	Sulphides; Polysulphides.
57	Dithionites and sulphonylates.
58	Sulphites; thiosulphates.
59	Copper sulphate.
60	Nitrites; nitrates.
61	Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates and polyphosphates.
62	Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonates containing ammonium carbamate.
63	Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides.
64	Fulminates, cyanates and thiocyanates.
65	Borates; peroxoborates (perborates).
66	Sodium dichromate.
67	Potassium dichromate.
68	Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile chemical isotopes (including the fissile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products.
69	Isotopes of radioactive chemicals
70	Compounds, inorganic or organic of such isotopes, whether or not chemically defined.
71	Compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals.
72	Phosphides, whether or not chemically defined, excluding Ferrophosphorus.
73	Calcium carbides.
74	Ethylene, Propylene.
75	Cyclic Hydrocarbons.
76	Halogenated derivatives of Hydrocarbons.
77	Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated.
78	Methanol.
79	Di-ethylene Glycol, Mono-ethylene Glycol, Triethylene Glycol, Ethylene Glycol, Heavy ethylene Glycol.

80	Phenols, Phenol-alcohols
81	Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenolalcohols.
82	Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, etheralcoholphenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined) and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
83	Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
84	Ethylene oxide.
85	Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
86	Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde.
87	Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading No. 29.12 of Central Excise Tariff Act, 1985.
88	Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids, their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
89	Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
90	Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids, their halogenated, peroxides and peroxyacids, their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
91	Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
92	Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
93	Esters of other inorganic acids (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
94	Amine-function compounds.
95	Oxygen-function amino-compounds.
96	Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids.
97	Carboxamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid.
98	Carboxamide-function compound (including saccharin and its salts) and imine-function compounds.
99	Nitrile-function compounds.
100	Diazo-, Azo- or azoxy-compounds.
101	Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine.
102	Organo-sulphur compounds.
103	Ethylene Diamine Tetra Acetic acid, Nitrilo Triacetic acid and their derivatives.
104	Heterocyclic compounds with oxygen heteroatom(s) only.
105	Heterocyclic compounds with nitrogen heteroatom(s) only.
106	Nucleic acids and their salts, other heterocyclic compounds.
107	Sulphonamides.
108	Glycosides, natural or reproduced by synthesis and their salts, ethers, esters and other derivatives.
109	Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives.

110	Ethylene Diamine Tetra Acetic acid, Nitriilo Triacetic acid and their derivatives.
111	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives.
112	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning.
113	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations based on colouring matter of vegetable or animal origin.
114	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations based on synthetic organic colouring matters; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined.
115	Colour lakes; preparations based on colour lakes.
116	Pigments and other colouring matters.
117	Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes.
118	Prepared driers.
119	Printing ink whether or not concentrated or solid.
120	Casein, caseinates and other casein derivatives, casein glues.
121	Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included.
122	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures.
123	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black.
124	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall-oil of heading No. 38.03 of Chapter 38 of the First Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985.
125	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums.
126	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha, vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch.
127	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included.
128	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics.
129	Reducers and blanket wash/roller wash used in the printing industry.
130	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included.
131	Mixed alkylbenzenes and mixedalkylnaphthalenes, other than those of heading No. 27.07 or 29.02 of Central Excise Tariff Act, 1985.
132	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics.
133	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols.
134	Retarders used in the printing industry.
135	LLDPE / LDPE.
136	HDPE.
137	Polymers of ethylene in primary forms.

138	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms
139	Polymers of Styrene in primary forms, polysterene resins and maleic resins.
140	Polymers of Vinyl acetate or of other vinyl esters in primary form, other vinyl polymers in primary form.
141	PVC
142	Acrylic polymers in primary forms.
143	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms.
144	Polyethylene Terephthalate Chips.
145	Polyamides in primary forms.
146	Amino-resins, polyphenylene oxide, phenolic resins and polyurethanes in primary forms.
147	Silicones in primary forms.
148	Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 of Chapter 39 of the First Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985, not elsewhere specified or included in primary forms.
149	Cellulose and its chemical derivatives, and cellulose ethers, not elsewhere specified or included in primary forms.
150	Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms.
151	Ion-exchangers based on polymers of heading Nos. 39.01 to .13 of Central Excise Tariff Act, 1985 in primary forms.
152	Self-adhesive plates, sheets, film foil, tape, strip of plastic whether or not in rolls.
153	Other plates, sheets, film, foil, and strip of plastics, non-cellular, whether lacquered or metallised or laminated, supported or similarly combined with other materials or not.
154	Flexible plain films.
155	Articles for the packing of goods, of plastics; namely boxes, cases, crates, containers, carboys, bottles, jerry cans and their stoppers, lids, caps of plastics (but not including insulated wares).
156	Natural rubber, balata, gutta percha, Guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips.
157	Synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading No. 40.01 of Central Excise Tariff Act, 1985 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.
158	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip.
159	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip, other than the forms and articles of unvulcanised rubber described in heading No. 40.06 of Chapter 40 of the First Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985.
160	Mechanical wood pulp, chemical wood pulp, semi-chemical wood pulp and pulps of other fibrous cellulosic materials.
161	Cartons (including flattened or folded cartons), boxes (including flattened or folded boxes), cases, bags and other packing containers of paper, paperboard, whether in assembled or unassembled condition.
162	Paper printed labels and paperboard printed labels.
163	Paper self-adhesive tape and printed wrappers used for packing.

164	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, of jute or of other textile fibres of heading No. 53.03 of Chapter 53 of the First Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985.
165	Hessian and jute cloth, cloth and woven fabric of PP or HDPE and sacks and bags made from such cloth or woven fabric.
166	Carboys, bottles, jars, phials of glass, of a kind used for the packing goods; stoppers, lids and other closures, of glass.
167	Glass fibres (including glass wool and glass filaments) and articles thereof (for example: yarn, woven fabrics), whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics or varnish.
168	Aseptic packaging aluminium foil of thickness less than 0.2 mm and backed by paper and LDPE.
169	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers) capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal.
170	Wooden crates, tea chests.
171	Sheets of polyurethane foam.
172	Railway switches, crossings, switch expansion joints, steel turnout sleepers, fish-plates, steel clips, track bolts and nuts, elastic rail clips and railway signal, signalling equipments and accessories and parts thereof.
173	Glass shells, lead glass tubes, filaments, moly wire, lead in wire, caps, dumet wires, solder wire, crapping cement.
174	Scrap of plastic, glass and metals, and broken glass.
175	Flavouring essences, synthetic essential oil.
176	Zinc oxide
177	Red lead, litharge and grey oxide
178	Sodium sulphate.
179	Sodium petroleum sulphonate, calcium petroleum sulphonate.
180	Acid sludge
181	Silicon steel stamping, hollow porcelain bushings, grinding wheel.
182	Insulating papers and boards, insulating fabric tapes and sheets.
183	Petroleum jelly IP.
184	Lay-flat tubes.
185	Polythene bags, plastic bags, pouches and closures.
186	Micro cellular sheets and banwar sheets.
187	Copper clad sheets.
188	Resins, terpene chemicals like pine oil, deperntine, DD, turpentine, terpenol, camphor.
189	Electrical goods, namely, (i) winding wires and strips; (ii) switches, selector switches, fuseswitches unit, up to 15 amps. And not in enclosure; (iii) contactors, auxiliary contactors, contact block; (iv) control gears and starters; (v) ammeter, KWH meter, voltmeter; (vi) insulating materials, insulator; (vii) jointing materials; (viii) circuit breakers, HRC fuse, thermostat; (ix) programmable logic controller, timers; (x) switch boards, panel boards, distribution boards, control panels, motor control center, power control center, bus duct, burner control cubicle, control desk, push button station, local control station, kiosk, feeder pillar, SMPS; (xi) electrical relays and single phasing preventor and timers; (xii) overhead transmission line materials including components, accessories and spare parts thereof.
190	Purified terephthalic acid.

191	Articles of metals, namely boxes, cases, crates, containers and their stoppers, caps, lids of metal used for packing of goods (but not including insulated wares).
192	Atta chakki patthar.

6. This notification shall come into force with effect from date of issue.

(No.-VAT-7/2005—i)

By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITAL,

*Commissioner and Secretary to Govt.
Finance (Commercial Taxes) Department.*

बिहार सरकार
वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० 32, दिनांक 1 अप्रील 2006—बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभाग, व्यवहार अथवा विक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, सं० 16, 1993) की धारा-3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या-92 दिनांक-25 जूलाई 2001, जो समय-समय पर संशोधित है, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका में एक नयी क्रम संख्या निम्नवत् जोड़ी जायेगी :-

क्रम सं०	वस्तु का विवरणी	दर(प्रतिशत में)
1	2	3
25	धान, चावल, गेहूँ, दाल, फलोर, आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन।	4 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

(सं०-वैट—7/2005—i)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

1 अप्रील 2006

एस० ओ० 33—एस० ओ० 32, दिनांक 1 अप्रील 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उमका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-वैट—7/2005—i)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० 34, दिनांक 1 अप्रील 2006—बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, सं० 16, 1993) की धारा-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 24 के बाद निम्नलिखित नई क्रमसंख्या एवं उसकी संगत प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी:-

क्रम सं०	वस्तु का विवरणी	दर(प्रतिशत में)
1	2	3
25	धान, चावल, गेहूँ, दाल, फ्लोर, आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन।	-

2. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

(सं०-वैट—7/2005—i)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

1 अप्रील 2006

एस० ओ० 35—एस० ओ० 34, दिनांक 1 अप्रील 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-वैट—7/2005—i)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Finance (Commercial Taxes) Department

NOTIFICATION

S.O. dated- April, 2006 In exercise of the powers conferred by section 3 A of the Bihar Tax on Entry of goods into local areas for consumption, use or sale there in Act, 1993 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Schedule appended to the said Act.

Amendment :-

1. After serial number 24 of the Schedule appended to the said Act, the following new serial number and its corresponding entries shall be inserted, namely :-

Sl. No.	Description of Goods
1	2
25	Paddy, Rice, Wheat, Pulses, Flour, Atta, Maida, Suji and Besan

2. This notification shall come into force with effect from date of issue.

(No.-VAT-7/2005-11)

By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITAL.

*Commissioner and Secretary to Govt.,
Finance.(Commercial Taxes) Department.*

Government of Bihar
Finance (Commercial Taxes) Department

NOTIFICATION

S.O. 32, dated the 1st April, 2006—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Bihar Tax on Entry of goods into local areas for consumption, use or sale there in Act, 1993 (Bihar Act no. 16, 1993) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Finance (Commercial Taxes) Department's notification No. S.O. 92, dated the 25th July, 2001 as amended from time to time.

1. In the said notification a new serial no. is added in the following manner :-

Sl. No.	Description of goods	Rate of Entry Tax
1	2	3
25	Paddy, Rice, Wheat, Pulscs, Flour, Atta, Maida, Suji and Besan.	4 %

2. This notification shall come into force with effect from date of issue.

(No.-VAT-7/2005—i)
By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITAL,
Commissioner and Secretary to Govt.,
Finance (Commercial Taxes) Department.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 244—571+1000—डी०टी०पी०